महत्वपूर्ण एवं खास

हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत

न्याय साक्षी/रायगढ़। रेंज अंतर्गत क्रोन्धा गांव के जंगल में फिर हांथी ने ली 60 वर्षीय बुजुर्ग की जान। बताया जा रहा है मृतक कलिंदर राठिया कल शाम दातुन तोड़ने जंगल की ओर गया था। उसके बाद आज सुबह क्रोन्धा-सेमिपाली जंगल सिमाने में उसकी लाश मिली है। मौके पे मौजूद वनकर्मी और घटना स्थल में शव के पास मिले हाँथी के फुट मार्क्स से संभवतः हाँथी से मौत की पुष्ठी की जा रही है। बताया जा रहा है मृतक कान से कमजोर था। शायद हाँथी की आवाज को भांप नहीं पाया होगा। बहरहाल अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुँच आगे की कार्यवाई में जुट गए है।

पूंजीपथरा पुलिस की जुआ पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम गेरवानी के ईतवारी बाजार हाट में 52 पत्ती तास से जुआ खेल रहे 1- निर्मल कुमार अगरिया पिता राधेश्याम अगरिया उम्र 24 वर्ष, 2- संपत गिरी पिता प्रेम गिरी गोस्वामी उम्र 47 वर्ष, 3- राजेश कुमार साहू पिता दाउलाल साहू उम्र 29 वर्ष, 4- मिलन यादव पिता बन्नू यादव उम्र 47 वर्ष सभी साकिनान ग्राम गेरवानी थाना पूंजीपथरा को घेरा बंदी कर पकडे आरोपियों के फड से 52 पत्ती तास, एक प्लास्टिक बोरी, नगदी रकम 2000 रूपये जप्त किया गया है। आरोपियों पर 13 जुआ एकट की कार्यवाही किया गया है। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा गेरवानी बाजार हाट के किनारे स्ट्राईगर गोटी से अरूण कुमार बर्मन पिता उदय राम बर्मन उम्र 26 वर्ष सा0 जेलपारा रायगढ थाना कोतवाली को जुआ खेलाने की सूचना पर मौके से पकड़ा गया जिसके कब्जे से 03 गुलाबी रंग का स्ट्राईगर जिसमें एक स्ट्राईगर में ओम लिखा है, नगदी रकम 300 रूपये जप्त किया गया है। आरोपी पर 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

जिले में 371.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले में 29 जुलाई तक 371.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 7.8 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 417.4 मिली मीटर, पुसौर में 505.4, खरसिया में 268.3, सारंगढ़ में 429.2, बरमकेला में 457.9, घरघोड़ा में 340.4, तमनार में 260.7, लैलूंगा में 327.5 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 335.8 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

कलयुगी पुत्र के कारण पिता को लगानी पड़ी न्याय के लिए गुहार

न्याय साक्षी/ रायगढ़। मामला पुसौर का है, जहाँ के सुशील कुमार महापात्र 55 वर्ष के द्वारा सामाजिक न्याय संघ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने ही पुत्र के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की है। अपने आवेदन में सुशील के द्वारा बताया कि, पत्नी हरिप्रिया की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है, और उनके द्वारा अपनी दोनों संतानो का पालन पोषण अकेले ही किया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 2016 में सामाजिक रीति रिवाज के साथ संपन्न किया, जिसका जीवन सकुशल चल रहा है, तथा अपने पुत्र का विवाह 26/04/2018 में किया गया।

आवेदन में बताया गया कि, बाद में उनके पुत्र के व्यवहार में बदलाव आने लगा तथा उसके द्वारा गंदी गंदी गाँलिया दी जाने लगी, शुरू में सुशील ने उसे नासमझ जान के जाने दिया पर उसका अत्याचार नहीं रुका, उसके द्वारा लगातार पिता को प्रताड़ित किया जाने लगा और तो और मारपीट भी करने लगा और इसके बाद उसके द्वारा अपने पिता को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। जिसकी शिकायत पिता द्वारा पुलिस अधीक्षक को, की गई, जिसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

» न्याय के लिए सामाजिक न्याय संघ को दिया आवेदन

आवेदन में यह भी लेख है कि, 2013 स्वरोजगार योजना अंतर्गत जनपद पंचायत पुसौर द्वारा नीलामी में स्थाई रूप से दुकान आबंटन किया गया था। तब पिता सुशील ने सोचा कि दुकान ले लेने से पुत्र के परिवार का गुजर बसर आराम से हो जाएगा तथा भविष्य में कोई तकलीफ नही होगी।

बताया कि, नीलामी के समय यह दुकान उनके पुत्र के नाम प्रदीप कुमार महापात्र के नाम से ली गई, और 55000 रुपए जमा कराए गए, जिसका रसीद नंबर 70 बुक नंबर 19 है। अपने घर की जमा पूंजी से दी गई, इस रकम के बाद पिता सुशील ने बुक नंबर 19 के तहत 1,60,000 पुनः जमा किए गए एवं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट पिता सुशील के द्वारा किया गया। जिस दुकान से भी पिता सुशील को पुत्र के द्वारा बेदखल कर दिया गया, जिससे वो बेहद पीड़ित है, और घर से भी निकाले जाने के बाद दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।

पिता सुशील के द्वारा सामाजिक न्याय संघ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही की मांग की है, जिसपर संज्ञान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर टकरायी ट्रेक्टर, चालक और 2 लोग घायल

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतवाली (जूटमिल) राइनो-2 को रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर गढउमरिया रवाना किया गया। जहां ट्रैक्टर का चालक हनुमान प्रसाद पिता कल्याण सिंह उम्र 26 साल निवासी पथरिया जिला बलौदाबाजार ट्रैक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए डिवाइडर पर टकरा दिया था जिससे चालाक हनुमान प्रसाद तथा ट्रैक्टर पर सवार दुर्गेश ध्रुव पिता बालाराम ध्रुव 35 एवं पवन मरकाम पिता जनक राम उम्र 22 साल निवासी पड़रवा जिला बिलासपुर को चोटें आई थी। घायलों को जूटमिल राइनो में कार्यरत आरक्षक राकेश टोपो और अनुप तिग्गा द्वारा के.जी.एच. ले जाकर भर्ती कराया गया।

शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय युवती द्वारा थाना कोसीर में अजय बरेठ निवासी बडे गन्तुली थाना कोसीर द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने संबंधी शिकायत पत्र दिया गया था जिसकी जांच पर आज दिनांक 29.07.19 को अनावेदक अजय बरेठ के विरूद्ध अप.क्र. 72/19 धारा 376 भादंवि दर्ज किया गया है।

महिला ने किया कीटनाशक का सेवन, 112 ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। तमनार राईनो को आज दिनांक 29.07.2019 के दोपहर मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर मिलूपारा रवाना किया गया जहां रहने वाली श्याम बाई सिदार पिता मिट्ठू सिदार उम्र 35 साल कीटनाशक सेवन कर ली थी। हालत बिगडने पर घरवालों ने डॉयल 112 को कॉल किये। जिस पर ईआरव्ही वाहन मौके पर पहुंची जिसने अहिता को राइनो वाहन में बिठाकर उपचार हेतु सीएससी तमनार में भर्ती कराये।

धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार, ग्रामीण से 09 लाख रूपये की किये थे धोखाधड़ी

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम छोटे जामपाली थाना छाल निवासी हेमलाल राठिया पिता सालिक राम राठिया द्वारा दिये गये शिकायत पत्र अनुसार वर्ष 2015 में हेमलाल राठिया की भूमि पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन किया गया था जिसमें भू-अर्जन का मुआवजा 19,00093/- (उन्नीस लाख त्रान्वे रूपये) का चेक इसे प्राप्त हुआ था। ग्राम बरभौना निवासी टिकेश डनसेना पिता श्रवण डनसेना एवं श्रवण डनसेना पिता स्व0 हेतराम डनसेना दोनो पिता पुत्र इसके घर आकर बैंक में खाता खोलवाने, रूपये निकलवाने में मदद करेंगे बोले और हेमलाल का बैंक ऑफ महाराष्ट्रा रायगढ में खाता खोलवाकर बैंक पासबुक, अरू चेकबुक को अपने पास रख लिये। बीच-बीच में टिकेश डनसेना एवं उसके पिता द्वारा करीब 9,05,000/- रूपये हेमलाल को निकालकर दिये थे तथा 9,00000/- (नौ लाख रूपये) को फिक्स डिपाजिट में जमा कर देंगे बोले। हेमलाल द्वारा कई बार टिकेश डनसेना एवं उनके पिता को फिक्स डिपाजिट कराये गये रूपये का कागजात की माँग किया किन्तु दोनों कागजात देने में टल मटोल करते रहे। हेमलाल को घर बनाने के लिए रूपये की आवश्यकता होने पर दोनों को फिक्स डिपाजिट से रूपये निकालने की बात बोला तब पिता-पुत्र ने केवल 90 हजार रूपये होना बताये। जिस पर हेमलाल अपने बैंक पास बुक, एटीएम की मांग किया तो टिकेश डनसेना और श्रवण डनसेना ने हेमलाल को दुर्व्यवहर कर घर से भागा दिये। शिकायत जांच में अनावेदकगण द्वारा आवेदक के हस्ताक्षर से पृथक पृथक दिनांक को रकम आहरण कर 9 लाख रूपये की धोखाधड़ी करना पाये जाने से दिनांक 26.04.19 को आरोपीगण के विरूद्ध अप.क्र. 72/19 धारा 420 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री [illegible] श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी [illegible] एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

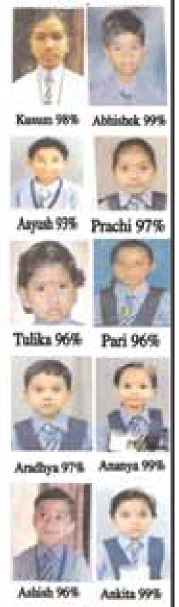

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480